हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION
क्रमांकः प.1(ख)(3–2)एचजेयू/प्रशा./मीटिंग/वि.प.–IX/2024/4628 दिनांकः 28/12/2024

विद्यापरिषद् की नवम बैठक दिनांक 13.12.2024 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 25 के अन्तर्गत गठित विद्यापरिषद् की नवम बैठक दिनांक **13.12.2024** को दोपहर 02:00 बजे **"मंथन सभागार"**, द्वितीय तल, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में विद्यापरिषद् के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विद्यापरिषद के पदेन पदाधिकारी	पद नाम
1	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं पदेन अध्यक्ष विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
2	श्रीमती नर्बदा इन्दौरिया (संयुक्त निदेशक, प्रशासन, सूचना और जनसम्पर्क विभाग)	संयुक्त निदेशक, प्रशासन एवं नामनिर्देशित प्रभारी सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
3	डॉ. राजेश कुमार व्यास	कुलाधिपति द्वारा मनोनीत सदस्य विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
4	श्री भंवर लाल मेहरड़ा	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
5	डॉ. ऋचा यादव	संकायाध्यक्ष, पत्रकारिता संकाय एवं संयोजक BoS, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एण्ड पब्लिक रिलेशंस विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
6	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	संकायाध्यक्ष, जनसंचार संकाय एवं संयोजक BoS, डवलपमेंट कम्यूनिकेशन विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर

7	डॉ. रतन सिंह शेखावत	संयोजक BoS, मीडिया स्टडीज विभाग एवं विशेष आमन्त्रित सदस्य, विद्यापरिषद्, एचजेयू, जयपुर
8	प्रो. दीपक भटनागर	परामर्शदाता, अकादमिक एवं विनियमन, एचजेयू, जयपुर विशेष आमंत्रित
9	डॉ. सत्येंद्र बसवाल	वित्त नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित
10	डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव	परीक्षा नियंत्रक, एचजेयू एवं विशेष आमंत्रित

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव महोदय द्वारा विद्यापरिषद के सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदया ने अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय की विशिष्ट अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की चर्चा की। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित विद्यापरिषद के कृत्यों/शक्तियों के अनुसार बैठक में कार्यसूची (एजेंडा) पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में पारित निर्णयों का कार्यसूचीवार विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
9–1	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 46 (ङ) एवं 47 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा प्रबंध बोर्ड द्वारा इस निमित्त गठित समिति के परीक्षण उपरान्त निम्नांकित ऑर्डिनेंसों के प्रारूपों पर विचार एवं अनुमोदनः– 1. Draft of Ordinance for the PG Diploma Courses of Study 2. Draft of the Ordinance of Examination Policy of the University
	व्याख्यात्मक नोट : हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 46 एवं 47 के अनुसरण में परामर्शदाता महोदय द्वारा तैयार दो ऑर्डिनेंसो का परीक्षण इस निमित्त प्रबंध बोर्ड द्वारा गठित समिति से करवाया जा चुका है। ये ऑर्डिनेंस निम्नानुसार है :

2. Draft of the Ordinance of Examination Policy of the University

	1. Draft of Ordinance for the PG Diploma Courses of Study 2. Draft of the Ordinance of Examination Policy of the University सदन के समक्ष ऑर्डिनेंस प्रारूप विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में Ordinance for the PG Diploma Courses of Study के संशोधित प्रारूप का अनुमोदन किया गया तथा उक्त प्रारूप में लिपिकीय त्रुटियों को संशोधित करवाकर प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक प्रस्तुत करवाए जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। Ordinance of Examination Policy of the University के प्रारूप पर गहन विचार–विमर्श उपरान्त, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में संशोधन, प्रबंध बोर्ड की इस निमित्त गठित समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित एवं डिग्री में ड्राफ्ट संबंधी संशोधन करते हुए अनुमोदन किया गया तथा उक्त प्रारूप में लिपिकीय त्रुटियों को संशोधित करवाकर प्रबंध बोर्ड की आगामी बैठक प्रस्तुत करवाए जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। सदन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि ऑर्डिनेंस प्रारूप में वित्तीय निहितार्थ होने की स्थिति में वित्त समिति से विचार–विमर्श एवं अनुमोदन उपरान्त प्रबंध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
9–2	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 48 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा एतदर्थ समिति द्वारा परीक्षित विनियम (Draft of Regulations regarding Admission Policy for Various UG, PG and PG Diploma Programmes) के प्रारुप पर विचार एवं अनुमोदन।
	निर्णय / संकल्प हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 48 के अनुसरण में परामर्शदाता (अकादमिक एवं विनियमन) द्वारा तैयार तथा एतदर्थ समिति द्वारा परीक्षित विनियम (Draft of Regulations regarding Admission

	Policy for Various UG, PG and PG Diploma Programmes) के प्रारुप का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9–3	एमए–जेएमसी (प्रिंट मीडिया), एमए–जेएमसी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया), एमए–जेएमसी (एमओएपी), एमए–जेएमसी (एसएमओजे), एमए–जेएमसी (डीसीएसडब्लू) एवं बीए–जेएमसी की वर्ष 2024 की अंतिम परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के लिए डिग्री का अनुग्रह पारित करने का प्रस्ताव विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
	निर्णय / संकल्प एमए–जेएमसी (प्रिंट मीडिया), एमए–जेएमसी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया), एमए–जेएमसी (एमओएपी), एमए–जेएमसी (एसएमओजे), एमए–जेएमसी (डीसीएसडब्लू) एवं बीए–जेएमसी की वर्ष 2024 की अंतिम परीक्षा में सफल विद्यार्थियों के लिए डिग्री का अनुग्रह सर्वसम्मति से पारित किया गया।
9–4	तृतीय दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024 की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं एवं वरीयता प्रमाण–पत्र प्राप्तकर्ताओं की सूचियाँ विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।
	व्याख्यात्मक नोटः वर्ष 2024 की अंतिम परीक्षा में कुल 06 पाठ्‌यजनाओं में आदेश कमांक 4221 दिनांक 15.11.2024 के अनुरूप विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं एवं वरीयता प्रमाण–पत्र प्राप्तकर्ताओं की सूचियाँ विद्यापरिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
	निर्णय / संकल्प वर्ष 2024 की अंतिम परीक्षा में कुल 06 पाठ्‌यजनाओं में आदेश कमांक 4221 दिनांक 15.11.2024 के अनुरूप विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं एवं वरीयता प्रमाण–पत्र प्राप्तकर्ताओं की सूचियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा डिग्री, स्वर्ण पदक एवं वरीयता प्रमाण–पत्र छपने तक उनमें अन्य अशुद्धियों को सही करवाने के लिए परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 015 (राजस्थान)
Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

9–5	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदया की अनुमति से – कुलपति एवं अध्यक्ष, विद्यापरिषद द्वारा निम्नानुसार बिन्दुओं पर चर्चा की गई :
9–5–1	अध्ययन अवकाश पर कार्यरत सेना के अधिकारियों के लिए विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हेतु प्रस्ताव प्रस्ताव पर गहन विचार–विमर्श उपरान्त निश्चिय किया गया कि : • ऐसे आवेदकों को पीएच–डी पाठ्ययोजना के अतिरिक्त अन्य पाठ्ययोजनाओं में उपलब्ध सीटों की Supernumerary गणना करते हुए प्रवेश दिया जाए। • उक्त आवेदकों को विभिन्न पाठ्ययोजनाओं में प्रवेश शुल्क में छूट दी जाएगी। • स्ववित्तपोषी पाठ्ययोजनाओं में प्रवेश शुल्क में छूट नहीं दी जाए। **निर्णय / संकल्प** प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा प्रवेश शुल्क में छूट दिए जाने के संबंध में वित्तीय निहितार्थ होने के कारण इसे वित्त समिति से अनुमोदन उपरान्त प्रबंध बोर्ड में प्रस्तुत किया जाए।
9–5–2	प्रबंध बोर्ड की सप्तम बैठक दिनांक 02.12.2024 के निर्णय / संकल्प संख्या 7–20 के संबंध में विद्यापरिषद को अवगत करवाया जाना : विश्वविद्यालय में वर्ष 2023–24 से ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार एनईपी, 2020 के अनुरूप लागू स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में प्रथम बैच के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में नवीन फ्रेमवर्क के कारण लगभग 30 विद्यार्थी तृतीय सैमेस्टर में क्रमोन्नत नहीं हो पाए। प्रबंध बोर्ड की कार्यसूची क्रमांक 7–20 पर उक्त समस्या के निवारण हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की विभिन्न पाठ्ययोजनाओं में प्रथम एवं द्वितीय सैमेस्टर में DCC प्रश्न–पत्रों की संख्या बढाते हुए विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध करवाये जाने हेतु विद्यापरिषद के माध्यम से अध्ययन बोर्डों को निर्देशित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उक्त क्रम में प्रबंध बोर्ड के इस निर्णय से विद्यापरिषद को अवगत करवाया गया **'कि इस संबंध में कुलपति द्वारा एक समिति का गठन किया जाए तथा समिति का प्रतिवेदन विद्यापरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।'**

	निर्णय / संकल्प सदन द्वारा गहन विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय किया गया कि कुलपति द्वारा समिति गठित कि जाए तथा यह समिति विद्यार्थियों के हित में सम्पूर्ण प्रकरण की समीक्षा कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा समिति की अनुशंसा पर अन्तिम निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

सुधि राजीव

(सुधि राजीव)
कुलपति

(बी.एल मेहरडा)
RAS
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव